श्री न्यायमूर्ति अय्यंगार ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा, "आपराधिक कानून या प्रक्रिया में इसका कोई गूढ़ या रहस्यमय महत्व नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि जब किसी न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है तो इसके बारे में जागरूक हो जाना और न्यायिक रूप से नोटिस लेना। संज्ञान लेने में कोई औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं है; या वास्तव में किसी भी प्रकार की कार्रवाई, लेकिन तब होती है जब एक मजिस्ट्रेट, जैसे ही, किसी अपराध के संदिग्ध कमीशन पर अपना दिमाग लगाता है। जहां क़ानून उन सामग्रियों को निर्धारित करता है जिन पर न्यायिक दिमाग किसी भी कदम उठाने से पहले काम करेगा, जाहिर तौर पर वैधानिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। मेरी राय में, धारा 173 की उपधारा (3) के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया डिस्चार्ज धारा 207-ए की उपधारा (6) के तहत अलग और अलग है। जहां एक पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं है, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी की रिहाई और आरोपमुक्त करने के आदेश की पुष्टि करनी होती है। ऐसा तभी होता है जब अध्याय XYIII के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट पर जांच की जा रही हो, एक मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने और रिकॉर्ड किए गए सबूतों और दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपी व्यक्ति के आरोपमुक्त करने के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत किया गया।

मेरी राय में, इस पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं है जो विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

आर.एन. मी 7~ ! . ~ टी

विविध दीवानी

न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला के समक्ष

लछमन व अन्य , -याचिकाकर्ता

बनाम

कार्यकारी अभियंता, सिरसा, व अन्य , - प्रतिवादिगण

1963 की सिविल रिट संख्या 2329

27 अप्रैल, 1967.

उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम (1873 का VIII) - ***धारा.*** *33, 35 और 69 - उत्तरी भारत नहर और जल निकासी नियम (1873) - नियम 32 - किसी व्यक्ति के दायित्व को तय करने के लिए जांच - की प्रकृति - ऐसी जांच -क्या यह अनिवार्य है और इसे स्वयं प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए - अभिलिखित किया गया कि पूछताछ के परिणामस्वरूप कौन से निष्कर्षों को दर्ज किया जाना है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम की धारा 33 के तहत अधिरोपण करने और उस प्रावधान के तहत बनाई गई देनदारी को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति की देनदारी तय करने से पहले, मामले की जांच की जानी चाहिए, डिवीजनल नहर अधिकारी ऐसी जांच करने को और अधिनियम की धारा 33 और 35 के तहत उचित आदेश पारित करने को अधिकृत है। अधिनियम की धारा 69 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 33 और 35 के तहत होने वाली प्रत्येक जांच को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है और उसे न्यायिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बिन्दु की जांच खण्ड नहर अधिकारी द्वारा ही की जाये। उसके लिए यह खुला है कि वह पूरी जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कुछ साक्ष्य एकत्र कराए। फिर भी, यह वह प्राधिकारी है जिसे अपना निर्णय देना है, जिसे अपने द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अपना स्वतंत्र दिमाग लाना होगा और उसके समक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज करना होगा, जिसके बारे में व्यक्ति अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है।

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 33 के तहत उत्तरदायी बनाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की देनदारी तय करने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों के लिए इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक है-

(a) जलस्रोत के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी का उपयोग ऐसे व्यक्ति के कार्य या उपेक्षा द्वारा अधिकृत तरीके से किया गया था; या

(b) यदि उस व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं है जिसके कार्य या उपेक्षा के कारण पानी की अनधिकृत आपूर्ति की गई थी, तो उस व्यक्ति का पता लगाना संभव नहीं है जिसकी भूमि पर ऐसा पानी बह गया था, क्या ऐसी भूमि ने उससे लाभ प्राप्त किया था। पानी की अनाधिकृत आपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष के अभाव में, जिस व्यक्ति की भूमि पर पानी बह गया है, वह उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसे पानी का प्रवाह नहीं हुआ है

•'' जिसके परिणामस्वरूप उसे कोई लाभ हुआ; या

(c) यदि न तो श्रेणी (ए) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति और न ही ऊपर उल्लिखित श्रेणी (बी) के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो प्रश्न में वाटरकोर्स के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी के संबंध में शुल्क लेने वाले व्यक्तियों का विवरण, जो राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं विशेष शुल्क का.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं संख्या* 1 *और* 2 *द्वारा पारित दिनांक शून्य और 29 अक्टूबर,* 1963 के आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। *क्रमशः; और सभी* [1] *उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं से रुपये की विशेष शुल्क राशि वसूलने से रोक दिया।* 2,255..16 *एनजे>एस।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से नरिंदर सिंघा एडवोकेट ।

प्रतिवादिगण की ओर से आनंद सरूप, महाधिवक्ता (हरियाणा) जेसी वर्मा, अधिवक्ता के साथ।

आदेश

न्यायमूर्ति नरूला - उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का VIII) की धारा 33, 35 और 69 और उसके तहत बनाए गए नियम 32 की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित समान प्रश्न इन चार संबंधित रिट याचिकाओं (सिविल) में उठाए गए हैं(1963 की रिट संख्या 2327, 2328, 2329 और 2338)

लछमाजी व अन्य बनाम *कार्यकारी अभियंता, सिरसा डिवीजन, सिरसा वि अन्य)* के तथ्यों को पहले संक्षेप में बताया जा सकता है। मैंने इन तथ्यों को आयुक्त, अंबाला डिवीजन के अपीलीय आदेश, दिनांक 29 अक्टूबर, 1963 (अनुलग्नक 'बी') से लिया है, जिस हद तक वे रिट याचिका की तुलना में अधिक निश्चित और स्पष्ट रूप से उसमें बताए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 15 नवंबर, 1961 को यह पता चला था कि शहीदांवाली माइनर के आरडी 1650 एल पर एक अनधिकृत कटौती की गई थी, और इसकी जांच तत्कालीन ओवरसियर श्री भगवान दास द्वारा की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ओवरसियर द्वारा यह पाया गया कि बगली में कोई कटौती नहीं की गई थी, उत्तरदाताओं के अनुसार, ओवरसियर की रिपोर्ट खो गई है और उपलब्ध नहीं है। श्री नरिंदर सिंह, ज़िल्लेदार द्वारा भी पूछताछ की गई। इस संबंध में कार्यकारी अभियंता, सिरसा डिवीजन द्वारा अपने आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'ए') में दर्ज निष्कर्ष के अनुसार, "मूल मामला उप-मंडल अधिकारी के कार्यालय में खो गया था। फतेहाबाद उपमंडल" । कार्यकारी अभियंता ने अपने उक्त आदेश (दिनांक शून्य) द्वारा कहा कि "उपमंडल अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के मद्देनजर। फतेहाबाद" बागली का मामला कायम हो चुका था। उन्होंने पाया कि विशेष शुल्क लगाने के लिए दो ज़िलेदारों द्वारा पहले ही एक सिफारिश की जा चुकी थी। इस आधार पर कार्यकारी अभियंता को विश्वास हो गया कि नहर के पानी में की गई कटौती से उचित लाभ प्राप्त हुआ है। उनका आदेश निम्नलिखित परिच्छेद के साथ समाप्त हुआ:-

> "इस गैरकानूनी प्रथा पर रोक लगाने के लिए, मैं बोए गए क्षेत्र पर फसल दर का छह गुना विशेष शुल्क आदेशित करता हूँ और रौनी *क्षेत्र के उच्चतम फसल* दर 2,255.16, रुपये, धारा 31 और 33 के तहत संलग्न *तवान* प्रपत्रों और 1873 के उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम वीएम के नियम 32 के अनुसार सामान्य मूल्यांकन के अतिरिक्त आदेशित कता हूँ।

उपरोक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की अपील को अंबाला के आयुक्त के फैसले द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी

प्रभाग, दिनांक 29 अक्टूबर 1963 (अनुलग्नक 'बी')। याचिकाकर्ताओं का दावा कि ओवरसियर भगवान दास की कथित रिपोर्ट के आधार पर कोई बागली कट नहीं किया गया था, अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि हालांकि उक्त मूल रिकॉर्ड दुर्भाग्य से खो गया था, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था कि विभाग को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ झूठा मामला क्यों बनाना चाहिए था। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा "कथित अनधिकृत सिंचाई की मात्रा का पता लगाए बिना" लगाए गए विशेष आरोपों के बारे में उठाए गए दूसरे आधार के संबंध में, आयुक्त ने इस प्रकार कहा: -

> "यह फाइल में है कि समय बीतने के कारण सिंचाई की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई उचित जांच नहीं की गई। इसे देखते हुए, मैं अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करूंगा और सामान्य मूल्यांकन के अतिरिक्त लगाए गए जुर्माने को घटाकर आधा कर दूंगा।"

इस मामले में कार्यकारी अभियंता और आयुक्त के उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी गई है। 20 दिसंबर, 1963 को रिट याचिका स्वीकार करते हुए, मोशन बेंच द्वारा लगाए गए आरोपों की वसूली पर रोक लगा दी गई थी।

अन्य तीन जुड़े हुए मामलों में, एकमात्र मुद्दा, जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष तर्क दिया गया प्रतीत होता है, अनधिकृत सिंचाई की अवधि के विवाद से संबंधित था, और निष्कर्ष यह था कि अवधि निर्धारित करना संभव नहीं था, लेकिन कट के अंतिम निरीक्षण की तारीख से पूरी अवधि तक पिछले अभ्यास के अनुरूप। को अनधिकृत सिंचाई की अवधि माना गया। *सरमुख सिनाह और अन्य* (सिविल रिट 2338/1963) के मामले में , आयुक्त ने अपने अपीलीय आदेश, दिनांक 18 नवंबर 1963 (अनुलग्नक 'सी') में इसे इस प्रकार माना है: -

> "यह एक स्वीकृत तथ्य है कि गांव अहलूपुर की भूमि को इस बिंदु से सिंचाई नहीं मिलती है और इसे सिंचाई के किसी अन्य स्रोत से नहीं मिलता है। आउटलेट आरडी 51800-एल और वितरिका के बीच का क्षेत्र से सिंचाई नहीं होती है। पूरे मामले के इतिहास से पता चलता है कि अनधिकृत सिंचाई प्राप्त करने के लिए जानबूझकर इस साइट पर कटौती की गई है।

इन सभी रिट याचिकाओं का उत्तरदाताओं की ओर से विरोध किया गया है। श्री नरिंदर सिंह, विद्वान अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं ने तीन मामलों में (सिविल रिट 2338/1963 के अलावा) अपने मुवक्किलों के दावे के समर्थन में निम्नलिखित बातें कही हैं: -

(1) संभागीय नहर अधिकारी, यानी कार्यकारी अभियंता नीर (प्रतिवादी नंबर 1) ने अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 32 के साथ पठित धारा 31 और 33 के तहत लगाए गए आरोप लगाने से पहले खुद कोई जांच नहीं की। अधिनियम, और अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों के मद्देनजर, उस आधार पर विवादित आदेश रद्द किये जाने योग्य हैं।

(2) एक बार अपीलीय प्राधिकारी ने माना था कि लछमन और अन्य (1963 की सिविल रिट 2329) के मामले में कथित अनधिकृत सिंचाई की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई उचित जांच नहीं की गई थी, उस मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशेष आरोप लगाने का आदेश दिया गया था। इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि प्रत्येक अलग-अलग भूस्वामी के संबंध में ऐसी सिंचाई की सीमा के बारे में उचित जानकारी के बिना ऐसी कोई लेवी नहीं लगाई जा सकती।

(3) पुनियाब सरकार की अधिसूचना संख्या एसओ 90/पीए 22/60/ एस.1,/63, दिनांक 21 फरवरी, 1963 में संदर्भित सलाहकार समिति की सलाह के बिना, प्रो के अनुसरण में, आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं। उत्तरी भारत नहर और जल निकासी (पंजाब संशोधन) अधिनियम (1960 का 22) के दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(4) उत्तरदाताओं ने किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी जलस्रोत से अनधिकृत सिंचाई के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है, यह मामला अधिनियम की धारा 33 की शरारत के अंतर्गत नहीं आता है, और उस प्रावधान के तहत लगाया गया आरोप, इसलिए, उत्तरदायी है। अलग रखा जाए.

(5) विशेष दर के साथ सक्षम व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक अवसर पर तत्काल सूचना जब उनके विरुद्ध ऐसा कोई आरोप लगाया जाना प्रस्तावित हो।

श्री एसएस दीवान. 1963 के सिविल रिट 2338 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अन्य तीन मामलों में श्री नरिंदर सिंह द्वारा दिए गए सभी तर्कों को अपनाया है।

इस स्तर पर अधिनियम की धारा 3(2), 31, 33, 35 और 69 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 32 और 33 को पुन: प्रस्तुत करना सुविधाजनक होगा: -

[महामहिम ने इन अनुभागों और नियमों को पढ़ा और जारी रखा:]

इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 33 के तहत अधिरोपण करने और उस प्रावधान के तहत बनाई गई देनदारी को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति की देनदारी तय करने से पहले मामले की जांच होनी चाहिए। कार्यकारी अभियंता या संभागीय नहर अधिकारी (कलेक्टर के रूप में अधिसूचित) को इस तरह की जांच करने और अधिनियम की धारा 33 और 35 के तहत उचित आदेश पारित करने के लिए अधिकृत किया गया है। - अधिनियम की धारा 69 के प्रावधान यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 33 और 35 के तहत होने वाली प्रत्येक जांच को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों का परिणाम यह है कि मामले में पूछताछ की जाने वाली सुनवाई अर्ध-न्यायिक तरीके से होनी चाहिए और न्यायिक मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि प्रत्येक जांच डिविजनल नहर अधिकारी द्वारा स्वयं की जानी चाहिए। उसके लिए यह खुला होना चाहिए कि वह पूरी निगरानी स्वयं रखे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कुछ साक्ष्य एकत्र कराए। फिर भी, यह वह प्राधिकारी है जिसे अपना निर्णय देना है, जिसे अपने द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अपना स्वतंत्र दिमाग लाना होगा और उसके समक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज करना होगा, जिसके बारे में व्यक्ति पारित किए जाने वाले आदेशों से प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि अधिकारी को नोटिस है। मेरे सामने आए सभी मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी आदेश स्वयं संभागीय नहर अधिकारी द्वारा नहीं बनाया गया था, कि कुछ विशेष आदेश किसी न किसी स्तर पर कुछ अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा बनाए गए थे, उनमें से कुछ का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। सभी उपलब्ध थे, और कार्यकारी अभियंता ने केवल अन्य अन्य अधिकारियों की रिपोर्टों और सिफारिशों का समर्थन किया था। यह किसी का मामला नहीं है कि उक्त रिपोर्ट की सामग्री याचिकाकर्ताओं को बताई गई थी। यह। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन निरीक्षणों या निरीक्षणों के आधार पर इन मामलों में विवादित आदेश पारित किए गए हैं,

वे याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में या उन्हें नोटिस देने के बाद किए गए थे या नहीं। अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत व्यक्ति के दायित्व को तय करने के लिए जिसे योग्य बनाया जाना है, अधिनियम के तहत अधिकारियों के लिए यह आवश्यक था कि वे इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करें-

(a) प्रवाहित जल का उपयोग इस तरह के कृत्य या उपेक्षा के कारण अनधिकृत person; or तरीके से किया गया था

(b) यदि उस व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं है जिसके कार्य या उपेक्षा के कारण पानी की अनधिकृत आपूर्ति की गई थी, तो उस व्यक्ति का पता लगाना संभव नहीं है जिसकी भूमि पर ऐसा पानी बह गया था, क्या ऐसी भूमि को उससे कोई लाभ हुआ था। पानी की अनधिकृत आपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष के अभाव में, जिस व्यक्ति की भूमि पर पानी बह गया है, वह उत्तरदायी नहीं होगा यदि ऐसे पानी के प्रवाह से उसे कोई लाभ नहीं हुआ है; या

(c) यदि न तो श्रेणी (ए) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति और न ही ऊपर उल्लिखित श्रेणी (बी) के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो प्रश्न में जलस्रोत के माध्यम से आपूर्ति किए गए पानी के संबंध में प्रभार्य व्यक्तियों का विवरण, जो राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं विशेष शुल्क का.

मेरे सामने आए किसी भी मामले में प्रभागीय नहर अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है जिसके कार्य या उपेक्षा से अनधिकृत जल आपूर्ति हुई है। न ही इस बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि क्या प्रत्येक याचिकाकर्ता की भूमि पर अनधिकृत पानी बह गया था, और इस तरह के प्रवाह से उन्हें कोई लाभ हुआ था। उपरोक्त दो प्रश्नों पर केवल निष्कर्षों की अनुपस्थिति, मेरी राय में, इस आशय का एक निहित निष्कर्ष नहीं है कि उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है । यह संभव है कि अधिकारियों ने संबंधित व्यक्तियों की निश्चित रूप से पहचान करने में अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। मेरी राय में, उस प्रकार की स्थिति में यह आवश्यक है कि गलती करने वाले व्यक्ति या आपूर्ति से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं होने के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज किया जाए और फिर उन व्यक्तियों के बारे में एक और निष्कर्ष दर्ज किया जाए जो दोषी हैं। उस विशेष जलस्रोत से पानी की आपूर्ति की गई जहां से अनधिकृत आपूर्ति हुई थी और उन्हें अधिनियम की धारा 33 के अंतिम भाग के तहत मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था। इसलिए, मैं यह मानूंगा कि अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार उचित परिवेश की कमी और उस श्रेणी के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष की कमी के कारण मेरे सामने सभी मामलों में अधिरोपण बुरा था। धारा 33 में उल्लिखित व्यक्तियों की तीन श्रेणियों में से गिर गया।

लछमन और अन्य के मामले में (सिविल रिट 2399 ऑफ 19आर31) मैं आक्षेपित आदेशों को इस आधार पर खारिज कर दूंगा कि अपीलीय प्राधिकारी ने पाया है कि कोई उचित जांच नहीं हुई है

लछमन, आदि ***बनाम*** कार्यकारी अभियंता, सिरसा, आदि (नारनौल, जे.) को सिंचाई की सीमा निर्धारित करने के लिए बनाया गया था, याचिकाकर्ताओं के मामले में ऐसी सिंचाई की संभावना शून्य नहीं थी और अनुपस्थिति में ऊपर उल्लिखित संयुक्त जिम्मेदारी के बारे में एक निष्कर्ष के अनुसार, उस मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई लेवी नहीं लगाई जा सकती है। अपीलीय स्तर पर आयुक्त द्वारा बनाए गए दायित्व की मात्रा का आकलन पूरी तरह से मनमाने ढंग से नियम के अनुसार किया गया है, जिसके लिए न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में कोई गुंजाइश नहीं है। लेवी, प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए या देयता के प्रतीक के रूप में केवल नाममात्र राशि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यदि यह निर्धारित करना भी असंभव हो कि कोई व्यक्ति कितनी राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

मेरे सामने उठाए गए पहले बिंदु को ध्यान में रखते हुए, यह तय करना आवश्यक नहीं है कि विवादित आदेशों पर सलाहकार समिति से परामर्श न करने का क्या प्रभाव होगा, खासकर जब यह स्वीकार किया जाता है कि प्रासंगिक प्रावधान लागू हुआ है 21 फरवरी 1963, जब उपर्युक्त अधिसूचना जारी की गई।

कपूर, जे.. द्वारा *अमर सिंह और अन्य* बनाम *डिविजनल कैनाल ऑफिसर और अन्य* (सिविल रिट संख्या 1772 ऑफ आई960) में यह माना गया है कि 12 सितंबर, 1961 को निर्णय लिया गया था कि यदि अनधिकृत आपूर्ति नहीं की जाती है। वॉटरकोर्स, नियम 32 के साथ पठित धारा 33 के तहत कोई विशेष शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। उक्त निर्णय का पालन हाल ही में *राम किशन और अन्य* बनाम *डिवीजनल नहर अधिकारी और अन्य* (सिविल वेंट नंबर) में उस संबंध में किया गया था। 1963 का 1449), 28 मार्च 1967 को निर्णय लिया गया। शाहिदांवाली माइनर अधिनियम की धारा 3(2) में उस छूट के लिए बताए गए अर्थ के भीतर निश्चित रूप से 'जल-धारा' नहीं है। यह है। हालाँकि, हरवाना राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप ने इसका विरोध किया। उन मामलों को छोड़कर जहां नहर में ही या माइनर में ऐसे स्थान पर जहां कोई आउटलेट नहीं है, अनाधिकृत कटौती की जाती है, अधिनियम की धारा 33 हमेशा आकर्षित होगी क्योंकि बगली कट नार्टिकुलर के मामले में पानी का बहना तय है। जलकुंड. मेरी राय में, इस संबंध में नहर अधिकारियों द्वारा एक निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिनियम की धारा 33 के तहत उक्त अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र 'वॉटरकोर्स' के माध्यम से पानी के अनधिकृत उपयोग के प्रमाण पर निर्भर करता है, जैसा कि परिभाषित है अधिनियम में उन मामलों को छोड़कर जहां यह तथ्य संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विवादित नहीं है। मेरे सामने आए मामलों के रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि पानी का अनधिकृत प्रवाह वॉटरकोर्स के माध्यम से हुआ था या नहीं। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा; ऐसा इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष इस बिंदु पर कोई मुद्दा नहीं उठाया। मेरे पास जो दृश्य है

ऊपर उल्लिखित पहले दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इस बिंदु पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है।

नियम 33 में निर्दिष्ट नोटिस की तामील की आवश्यकता के संबंध में, इन मामलों में उत्तरदाताओं की ओर से उनके संबंधित लिखित बयानों में कहा गया है कि ऐसा नोटिस दिया गया था। यह रिट याचिकाओं में लगाए गए विपरीत आरोप के जवाब में है। रिटर्न में कथित नोटिस का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है. न ही नोटिस की कॉपी पेश की गई है. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का तर्क है कि मूल अभिलेख उनके पास हैं और उनसे यह पता लगाया जा सकता है कि प्रत्येक मामले में वास्तव में नोटिस दिया गया था या नहीं। हालाँकि, मेरे द्वारा पहले ही दर्ज किए गए कारणों के कारण, इन मामलों में, मेरे लिए इस मामले में जाना आवश्यक नहीं है।

1963 के सिविल रिट 2329 के अलावा तीन मामलों में, पानी की अनधिकृत आपूर्ति की अवधि (अंतिम निरीक्षण की तारीख से) की गणना करने की विधि बल्कि मनमाना है और इसके पीछे कुछ वैधानिक औचित्य के अभाव में - इसका विरोध किया जाता प्रतीत होता है सिद्धांत या समानता और न्याय। अधिनियम की धारा 33 के तहत अधिरोपण। दंडात्मक प्रकृति का है. कानून के ऐसे प्रावधानों के तहत दायित्व या इसकी मात्रा के संदेह का लाभ प्रत्येक चरण में विषय को मिलना चाहिए। चूंकि इन तीन मामलों में विपरीत प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए इसमें दिए गए आदेशों को उस अतिरिक्त कारण से अलग रखा जाना चाहिए।

इसलिए, इन सभी रिट याचिकाओं को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के स्वीकृति दी जाती है और अधिरोपण और वसूली के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।

के. एस.के

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा

पुनरीक्षण सिविल

न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित के समक्ष

जेसी गुप्ता उर्फ़ जगदीश लाल गुप्ता व अन्य , ***- याचिकाकर्ता***

बनाम

एम/एस वज़ीर चंद-वीर भान, ***- प्रतिवादी।***

1967 का नागरिक संशोधन संख्या 65

5 मई, 1967

साझेदारी अधिनियम (1932 का IX) - एस.एस. 4 और 69— कंपनी फर्म के नाम पर नहीं बल्कि व्यापारिक नाम पर कारोबार कर रही है— क्या वह कारोबारी नाम पर किए गए कारोबार के कारण अमौरी के लिए मुकदमा करने का हकदार है— फर्म चार से मिलकर बनी है